न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : प्र०निग०/ 13/2010 राममान बनाम पारसकौर

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13-12-17	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। बहस सुनी जाने वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 26-12-17 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय)	
26-12-17	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। स्थाई समिति - फागी का निर्णय दिनांक 11-11-2009 निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय जेर इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

पंचायत निगरानी संख्या : 13/2010

रामलाल पुत्र श्री मोधालाल, जाति–गुर्जर, निवासी–ग्राम लदाना, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. पारस पुत्र गोपाल, जाति–गुर्जर, निवासी–लदाना, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. किशन पुत्र गोपाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माई पारस गुर्जर, निवासी–लदाना, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. ग्राम पंचायत–लदाना जरिये सरपंच, जिला–जयपुर।

गैर–निगरानीकर्त्तागण

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राज0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आज्ञा पंचायत समिति फागी दिनांक 11.11.2009 बमिसल सं0 69/2009 उनवानी पारस वगैराह बनाम रामलाल वगैराह)

उपस्थितिः–

1. श्री अरविन्द कुमार पारीक, अभिभाषक, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री अर्जुनलाल, अभिभाषक, गैर–निगरानीकर्ता सं. 1 व 2 की ओर से।
3. गैर–निगरानीकर्ता सं. 3 बावजूद तामील अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 26.12.2017

ग्राम पंचायत–लदाना ने अपनी आज्ञा दिनांक 10.03.1999 द्वारा 430.8 वर्गगज भूमि का नजराना राशि 3/– रू0 प्रतिवर्ष की दर से 1292/– इजाजत फीस 129/–, पट्टा फीस 10/– कुल राशि 1431/– (अक्षरे रूपया एक हजार चार सौ इक्तीस मात्र) जमा करने के बाद प्रार्थी रामलाल पुत्र माधु को पट्टा जारी करने का निर्णय लिया हैं, जिसकी पालना में पट्टा सं0 01 (1999–2000) दिनांक 10.07.1999 बहक रामलाल पुत्र साधु, जाति–गुर्जर जारी किया गया हैं। जिसके विरूद्ध पंचायत समिति–फागी में अपील किये जाने पर पट्टे को निरस्त कर ग्राम पंचायत को हिदायत की गई हैं कि मौके पर जाकर पारस पुत्र गोपाल गुर्जर व किशन पुत्र गोपाल नाबालिंग के नाम नियमानुसार पट्टा जारी करे दोनो की

कब्जाशुदा भूमि में निर्माण करे तो दखलन्दाजी नही करे। पंचायत समिति–फागी के निर्णय दिनांक 11.11.2009 से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ हैं।

उक्त आशय का निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर, नोटिस गैर–निगरानीकर्तागण जारी किए गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक श्री अरविन्द कुमार पारीक का कथन हैं कि निगरानी अधीन आज्ञा पंचायत समिति–फागी दिनांक 11.11.2009 विधि–विधान एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। गैर–निगरानीकर्तागण ने स्थायी समिति के यहां पर पट्टा सं0 1 (1999–2000) दिनांक 10.7.1999 के विरूद्ध अपील की हैं, जो धारा 61 के तहत मानी जा सकती है। धारा 61 के अन्तर्गत किसी भी पंचायत के आदेश या निर्देश की अपील किये जाने के प्रावधान है परन्तु पट्टा स्वयं किसी आदेश या निर्देश की श्रेणी में नहीं आता हैं जबकि मूल आदेश दिनांक 10.3.1999 का हैं। अतः अपील प्रशासन स्थाई समिति के समक्ष पोषणीय नहीं होने से प्रशासन स्थाई समिति की आज्ञा दिनांक 11.11.2009 विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 10.3.1999 के विरूद्ध 30 दिवस में अपील की जा सकती थी लेकिन आज्ञा दिनांक तक अपील पेश नहीं हुई हैं। अतः प्रशासन स्थाई समिति की आज्ञा विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। प्रशासन स्थाई समिति ने इस तथ्य पर भी कतई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट्स पारस, किशन ; गोपाल पुत्र झूंथा के ही पुत्र हैं और स्वयं गोपाल ने प्रार्थीगण के प्रकरण सं0 11 (1998–1999) में दिनांक 26.10.1998 को आपत्ति प्रस्तुत की थी यद्यपि यह आपत्ति सार्वजनिक आपत्ति नोटिस ग्राम पंचायत–लदाना दिनांक 15.8.1998 जिसकी आपत्ति मियाद दिनांक 15.9.1998 तक थी, की समय सीमा के बाहर थी फिर भी ग्राम पंचायत ने उस पर विचार कर उसे निरस्त किया हैं। जब गैर–निगरानीकर्त्तागण के पिता गोपाल की आपत्ति ग्राम पंचायत–लदाना द्वारा खारिज की जा चुकी और ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 10.3.1999 की गोपाल ने अपील नहीं की तो अब गोपाल के पुत्रो को अपील करने का कोई हक नहीं हैं। स्थाई समिति ने अपनी आज्ञा दिनांक 11.11.2009 पारित किये

जाने से पूर्व इस तथ्य पर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि अपील लगभग 10 वर्ष पश्चात् की गई हैं जबकि ग्राम पंचायत–लदाना की आज्ञा दिनांक 10.3.1999 की जानकारी गोपाल को प्रारम्भ से ही थी। जब गोपाल ने ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 10.3.1999 की अपील नहीं की तो उसके पुत्रों को उन्ही तथ्यों पर अपील करने का कोई अधिकार नहीं हैं जिस तथ्य को लेकर गोपाल के हक समाप्त हो चुके हैं। वादग्रस्त भू–खण्ड पर अपीलान्ट् का लगभग 50–60 वर्षो से अधिक पुराना कब्जा हैं। पंचों ने मजमेआम में मौका देखकर नाप– जोख की हैं। मौके पर अपीलान्ट् का पुख्ता व खाम मकान बुजुर्गो से होने की रिपोर्ट की हैं। मौके पर नाप–झोख कर कब्जेशुदा भू–खण्ड का पट्टा जारी करने की सिफारिश की हैं। अपीलान्ट् के कब्जे के भू–खण्ड जिसकी पंचों ने मौका रिपोर्ट की हैं, उसके अनुसार ही ग्राम पंचायत ने पट्टा देने की आज्ञा दिनांक 10.3.1999 पारित की हैं और आज्ञा दिनांक 10.3.1999 के अनुसार ही पट्टा जारी किया गया हैं। आबादी भूमि का पट्टा देने के लिए ग्राम पंचायत ही अधिकृत हैं। पक्षकारों के मध्य पट्टे की वादग्रस्त भूमि को लेकर सिविल न्यायालय में विवाद लम्बित हैं। अतः गैर–निगरानीकर्त्ता को सिविल न्यायालय में चाराजोई की जानी चाहिए। निगरानी की कोई मियाद सीमा प्रावधित नहीं हैं। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आज्ञा दिनांक 11.11.2009 निरस्त फरमाई जावे।

गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 1 व 2 के विद्वान् अभिभाषक श्री अर्जुनलाल चौधरी का कथन हैं कि निगरानी अधीन आज्ञा स्थाई समिति दिनांक 11.11.2009 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई हैं। प्रशासन स्थाई समिति ने यह पाया हैं कि मौका रिपोर्ट व पट्टे की नाप में भिन्नता हैं। मौका रिपोर्ट, आपत्ति–पत्र सही नही होना पाया हैं। पंचायत द्वारा जारी पट्टे को विधिवत् जारी किया जाना प्रशासन स्थाई समिति ने नही पाया हैं। ग्राम पंचायत ने गोपाल पुत्र झूंथा व जगदीश पुत्र झूंथा ने दिनांक 26.10.1998 को आपत्ति प्रार्थना–पत्र पेश किया था परन्तु इन पर ग्राम पंचायत ने बिना गौर किये एकतरफा निर्णय लेकर रामलाल के हक में निर्णय पारित किया हैं जो विधि–विरूद्ध हैं। विधि–विरूद्ध जारी किये गये आदेश के विरूद्ध जानकारी होते ही गैर–निगरनीकारान् ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 के तहत अपील प्रस्तुत की हैं, अपील के साथ धारा

5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया हैं। पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी एक वैधानिक दस्तावेज हैं जिसकी अपील प्रशासन स्थाई समिति के समक्ष पोषणीय होने से ही प्रशासन स्थाई समिति द्वारा अपील प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया हैं। निगरानीकर्त्ता रामलाल पुत्र माधु गुर्जर ने सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू, जिला–जयपुर के यहां अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 23.4.2009 से वाद व प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं। जिसमें मौके की यथास्थिति आदेश आज भी प्रभावी हैं। गैर–निगरानीकर्त्तागण ने प्रशासन स्थाई समिति में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत अपील की हैं जिसमें दोनो पक्षों को सुनकर तथा मौका रिकार्ड देखकर गांव वालो व नक्शे के नाप में अन्तर होने से अपील स्वीकार करते हुए पट्टा सं0 1 दिनांक 10.7.1999 को निरस्त किया गया हैं। निगरानीकर्त्ता ने गैर–निगरानीकर्त्तागण को हैरान व परेशान करने की नियत से निगरानी प्रस्तुत की हैं जबकि मौके पर निगरानीकर्त्ता काबिज नहीं हैं। गैर–निगरानीकर्त्तागण का कब्जा हैं। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र निगरानीकर्त्ता सारहीन होने से निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रशासन स्थाई समिति फागी के निर्णय दिनांक 11.11.2009 के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि प्रशासन स्थाई समिति ने मौके व पट्टे की नाप में भिन्नता होने, ग्राम पंचायत की पत्रावली में मौका रिपोर्ट आपत्ति पत्र सही नही होने से पट्टे को विधिवत जारी नही किया जाना जाहिर किया हैं और पट्टे को निरस्त करते हुए ग्राम पंचायत को हिदायत की गई हैं कि मौके पर जाकर पारस पुत्र गोपाल व किशन पुत्र गोपाल नाबालिंग के नाम नियमानुसार पट्टा जारी करे व कब्जाशुदा भूमि में निर्माण को तो दखल न करे। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे संबधी पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि वादग्रस्त भू–खण्ड के लिए प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। पंचों ने मौका निरीक्षण किया हैं, मौका नजरी नक्शा, रिपोर्ट तैयार की हैं, कब्जाशुदा मकान का पट्टा देने की सिफारिश की हैं। मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सभी दिशाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हैं। आपत्ति नोटिस जारी किया गया है। जगदीश पुत्र झूंथा व गोपाल पुत्र झूंथा ने ग्राम पंचायत में आपत्ति प्रस्तुत की हैं, जिसे ग्राम

पंचायत ने अपनी जांच में झूठी व निराधार होना अंकित किया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। प्रशासन स्थाई समिति के सदस्यो द्वारा दिनांक 18.06.2009 को किये गये मौका निरीक्षण में वादग्रस्त भू–खण्ड पर गैर–निगरानीकारान् सं0 1 व 2 का कही भी पुराना कब्जा होना जाहिर नहीं किया गया हैं जबकि इस रिपोर्ट के विपरित प्रशासन स्थाई समिति ने पारस पुत्र गोपाल गुर्जर व किशन पुत्र गोपाल नाबालिक के नाम पट्टा जारी करने के आदेश दिये हैं, जिसको न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता हैं। उक्त विवेचनानुसार निगरानी प्रार्थना पत्र निगरानीकर्त्ता स्वीकार की जाती हैं। प्रशासन स्थाई समिति फागी का निर्णय दिनांक 11.11.2009 निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर